

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :- 27 / 2009

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. ओमाराम पुत्र श्री धोकलराम		1. घेवरराम पुत्र श्री राणाराम
2. श्रवणराम पुत्र श्री हजारीराम सभी जातियान बावरी(चौकीदार) निवासीगण हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		2. पुन्नाराम पुत्र श्री राणाराम 3. भंवरी पुत्री श्री राणाराम 4. इन्द्रा पुत्री श्री राणाराम 5. मोरकी पुत्री श्री राणाराम 6. रेवतराम पुत्र श्री सोनाराम 7. तुलछी पुत्री श्री सोनाराम 8. अणची पुत्री श्री सोनाराम 9. सीता पुत्री श्री सोनाराम 10. समु पुत्री श्री सोनाराम सभी जातियान राईका निवासीगण हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 11. तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील कार्यालय बिलाड़ा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 23.03.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा प्रस्तुत हुयी। वादी स्वयं अथवा वादी की ओर से उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। बार-बार आवाजे दिलायी गयी मगर वादी व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। अतः वादीगण का वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा